







# काशी तमिल संगमम के प्रथम दल के सदस्यों के प्रयागराज आगमन पर उनका भव्य स्वप से किया गया स्वागत

संगम क्षेत्र के विहंगम एवं मनोहारी दृश्य देखकर अभिभूत हुए काशी तमिल संगमम टीम के सदस्यगण

प्रयाग दर्पण संवाददाता



दूस्य देखकर सदस्यगण मंत्रमुद्ध हो गये।  
सदस्यगणों के द्वारा संगम क्षेत्र में वीआईपी घाट पर  
बनाये गये सेल्फी प्यांट पर सेल्फी भी लिया गया।

तथा सैण्डआर्ट का अवलोकन किया गया। जिलाधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल के द्वारा टीम के सदस्यों को मोमेंटो एवं अंगवस्तु देकर सम्मानित किया गया। संगम क्षेत्र कार्यक्रम के पश्चात कार्शी तमिल संगमम टीम के सदस्यगणों ने लेटे हनुमानजी का दर्शन एवं पंजन किए।

## संक्षिप्त समाचार

# पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई

पुलस कायालय म जनसुनवाइ

प्रथा १

19.12.2023 का पुलिस उपायुक्त गंगानगर द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई कर फरियादियों को शिकायतें सुनी गईं तथा निस्तारण हेतु सम्बधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।



# થાના મુદ્દીગંજ પુલિસ દ્વારા 01 વારણ્ટો અભિયુક્ત ગિરફતાર

प्रयागराज। थाना मुठीगंज पुलिस द्वारा माननाय न्यायालय ए०डा०ज० कक्ष सं० १३ इलाहाबाद द्वारा निर्णीत NBW केस एसटी नं० ५७/२००३, अ०सं० ०३/२००३ धारा २२ NDPS एक्ट थाना मुठीगंज कमिश्नरेट प्रयागराज से सम्बन्धित वारण्टी अधियुक्त इरसाद खान उर्फ बब्ल खाँ पुत्र मुत्रे खाँ नि० सोना कटुआ पुरानी झूंसी थाना झूंसी जनपद प्रयागराज को मुख्यिक की सूचना पर आज दिनांक- १९.१२.२०२३ को सोना कटुआ पुरानी झूंसी थाना झूंसी कमिश्नरेट प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार वारण्टी अधियुक्त का विवरण-इरसाद खान उर्फ बब्ल खाँ पुत्र मुत्रे खाँ नि० सोना कटुआ पुरानी झूंसी थाना झूंसी जनपद प्रयागराज, उम्र करीब ४० वर्ष। सम्बन्धित अधियोग का विवरण-माननीय न्यायालय ADJ कक्ष सं० १३ इलाहाबाद, NBW केस एसटी नं० ५७/२००३, अ०सं० ०३/२००३ धारा २२NDPS एक्ट थाना मुठीगंज कमिश्नरेट प्रयागराज। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- १.३०नि० राजकमल यादव, प्रभारी चौकी हटिया थाना मुठीगंज, कमिश्नरेट प्रयागराज। १२.का० अरविन्द कुमार यादव, थाना मुठीगंज, कमिश्नरेट प्रयागराज। १३.का० अनिरुद्ध कुमार मौर्या, थाना मुठीगंज, कमिश्नरेट प्रयागराज। १४.का० महेन्द्र प्रताप सिंह, थाना मुठीगंज, कमिश्नरेट प्रयागराज। १५.मा०का० प्रज्ञा सचान, थाना मुठीगंज, कमिश्नरेट प्रयागराज।

कामरुनरेट प्रियोगराज के थाना काइगज में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में दाखिल किया गया

प्रयागराज । 1-दिनांक 28.09.2017 को अभियुक्त प्रमोद कुमार यादव पुत्र लल्हन यादव निवासी जोगियाना (भारद्वाज आश्रम के पीछे) थाना कर्नलगंज प्रयागराज के विरुद्ध थाना कीडांज पर मु030सं0 466/17 धारा 419/ 420/ 504/ 506/ 354/ 511/376 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया । 2-अभियोग में आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दिनांक-08.11.2017 को मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया । 3-अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरूप दिनांक-19.12.2023 को मा0 न्यायालय एफटीसी-02 इलाहाबाद द्वारा अभियुक्त प्रमोद कुमार यादव पुत्र लल्हन यादव निवासी जोगियाना (भारद्वाज आश्रम के पीछे) थाना कर्नलगंज प्रयागराज को धारा 419 भा0द0वि0 में 02 वर्ष सत्रम कारावास एवं 02 हजार रुपये का अर्थदण्ड, धारा 420 भा0द0वि0 में 05 वर्ष का सत्रम कारावास एवं 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

## कमिश्नरेट प्रयागराज के थाना धूमनगंज द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार

प्रयागराज। कमिशनरेट प्रयागराज के थाना धूमनगंज के मु0अ0सं0 339/2014 धारा 326 भा0द0वि0 के अभियोग में दोष सिद्धि का विवरण-1-दिनांक 11.06.2014 को अभियुक्त राजकिशोर चौरसिया पुत्र राम औतर चौरसिया निरो-सुलेमसराय थाना धूमनगंज प्रयागराज के विरुद्ध थाना धूमनगंज पर मु0अ0सं0 339/2014 धारा 326 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। 2-अभियोग में आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दिनांक-30.07.2014 को मा0 न्यायालय में दर्खिल किया गया। 3-अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से सक्षिकों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरूप दिनांक-18.12.2023 को मा0 न्यायालय एसीजेए-02 इलाहाबाद द्वारा अभियुक्त राजकिशोर चौरसिया पुत्र राम औतर चौरसिया निरो-सुलेमसराय थाना धूमनगंज प्रयागराज को धारा 326 भा0द0वि0 में 09 वर्ष 06 माह 10 दिन का कागवासु तथा 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

एसपी ने पुलिस लाइन में ली परेड की सलामी,  
कार्यालयों का भी किया निरीक्षण

अमेठी। आज एसपी ने रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली। सलामी के बाद एसपी ने परेड का निरीक्षण करने के बाद मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को आम जनमानस के प्रति उचित व्यहार और अपराधों की रोकथाम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रतिसार निरीक्षण समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल आज मंगलवार को अमेठी रिजर्व पुलिस लाइन पहुँचे अपर पुलिस अधीक्षक हरेन्द्र कुमार ने परेड की सलामी ली जिसके बाद परेड का मान-प्रणाम ग्रहण करते हुए परेड का निरीक्षण किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति निष्पावान एवं जन मानस से उचित व्यवहार, अपराधों की रोकथाम और समाज में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक हिदायतें दी गयी। इस दौरान एसपी ने रिजर्व पुलिस लाइन अमेठी के भोजनालय, बैरिकों की सफाई-सफर्ज, परिवहन शाखा, क्रार्टर गार्ड, स्टोर, कैश तथा गणना कार्यालय का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस दौरान पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक समेत बड़ी संख्या में अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वहाँ परेड की सलामी को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक हरेन्द्र कुमार ने कहा कि आज परेड की सलामी ली गई है और पुलिसकर्मियों को अपने कर्तव्यों के प्रति निष्पावान और आम जन मानस के प्रति अच्छा आचरण करने के निर्देश दिये गए हैं।

**रोडवेज कर्मचारियों ने ईदगाह डिपो में किया**

# प्रदर्शन, वेतन कटौती को लेकर आक्रोश

आगरा। आगरा के ईदगाह बस डिपो के कमचारिया ने मगलबार का वेतन कटाता के विरोध में प्रदर्शन किया। डिपो परिसर में चालक-परिचालक एकत्रित हुए। उन्होंने रोडवेज अधिकारियों के खिलाफ जमकर नरेबाजी की। उनका आरोप था कि लोड फैक्टर कम आने पर वेतन कटौती की जा रही है। सवारी न होने पर भी जबरन चालक-परिचालक को ड्यूटी पर भेजा जाता है। ईदगाह डिपो में सुबह 11 बजे चालक-परिचालक एकत्रित हुए। उनका आरोप था कि एआरएम ईदगाह द्वारा कर्मचारियों को उपीड़न किया जा रहा है। लोड फैक्टर कम आने पर चालक-परिचालकों का वेतन काटा जा रहा है।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक, प्रकाशक स्वतंत्र कुमार शुक्ल (याग्यवल्क्य) द्वारा रमा प्रिंटिंग प्रेस 53/25/1-ए, बेली रोड, नया कटरा, इलाहाबाद से मुद्रित कराकर, 1269/1073 मां श्री आश्रम, मालवीय नगर, बाबा जी का बाग, प्रयागराज से प्रकाशित। संस्थापक :-स्व० श्रीकांत शुक्ल उर्फ स्वामी कांतेश्वरानन्द भारती काली बाबा। संपादक:-स्वतंत्र कुमार शुक्ल (याग्यवल्क्य)। मोबाइल नंबर 9450475366 Email :- prayagdarpan@gmail.com, R.N.I. NO.UPHIN/2014/59804 इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं संगादन हेतु पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदाई तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के अधीन हैं।